उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग

संख्या– 2205 /55–पर्या–12–3(115)/प्रनि/85

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर , 2012

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0–10 सन्, 1897) की धारा 21 के साथ पठित जल (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम सं0–6 सन् 1974) की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना सं0– 3406(।।।)/55–10–3(115) प्रनि/85, दिनांक 18 जनवरी, 2011 का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम सं0–6 सन् 1974 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशो के विरूद्ध की जाने वाली अपीलो की सुनवाई और उनको निपटाने के लिए प्राधिकारी का गठन करते है।

2– उक्त धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि उक्त अपील प्राधिकारी एक व्यक्ति से मिलकर बनेगा और उ0प्र0 सरकार के पर्यावरण विभाग में सचिव, पर्यावरण विभाग को अपील प्राधिकारी नियुक्त करते है।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

संख्या– 2205(1) /55–पर्या–12–3(115)/प्रनि/85, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
7– भाषा (ऊर्दू) अनुभाग को ऊर्दू अनुवाद के गजट, प्रकाशन हेतु।

आज्ञा से

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव।